न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/1369/2003/धौलपुर

1– बंगाली पुत्र बुद्धा धोबी
2– भगवान दास पुत्र बुद्धा धोबी
3– आणंदी बेवा बुद्धा धोबी
4– धर्मेन्द्र पुत्र दौजी
5– शिवदेई पत्नी रामसरण
समस्त निवासीयान मालौनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर
6– सुनीता पुत्री दौजी पत्नी बणिया धोबी, निवासी बन्दा, तहसील व जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।
7– रामू पुत्र रामशरण
8– दीपक पुत्र रामशरण
9– पूनम पुत्री रामशरण
10–मु0 बेदो बेवा दौजी
} नाबा0 जरिये माता शिवदेई पत्नी रामशरण नि0 मौलोनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे0पी0 माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री वी0पी0 सिंह, राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 25 जून, 2018

हस्तगत द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 31/2000 शीर्षक बंगाली बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7–2–2003 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, धौलपुर छबडा के समक्ष वादीगण/हस्तगत अपील के अपीलार्थीगण द्वारा प्रतिवादीगण/रैस्पो0 राज्य सरकार के विरुद्ध, आराजी स्थित ग्राम मालोनी खुर्द, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर खसरा नम्बर 53/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 191/2 रकबा 5 बिस्वा के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत

आराजी वादीगण के पिताओं को दिनांक 13–4–1973 को तहसीलदार, धौलपुर द्वारा अपने निर्णय द्वारा एस0डी0ओ0, धौलपुर द्वारा नियमन की सिफारिश के द्वारा प्राप्त हुई थी। आराजी गैर खातेदारी में दर्ज है और वादीगण के पिताओं के मरने के बाद नामांतरकरण संख्या 1077 विरासत दिनांक 04–07–1996 स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि को गैर खातेदार से खातेदार घोषण किये जाने व प्रतिवादी को वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र के तथ्यों से असहमति जाहिर की गई। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), धौलपुर ने निर्णय दिनांक 31–12–1999 से वादी के वाद को खारिज किया, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–2–2003 से अपील खारिज की गई, इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 53/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 191/2 रकबा 5 बिस्वा के गैर खातेदार वादीगण के पिता बुद्धा रहे हैं और उनके पक्ष में दिनांक 13–4–1973 को यह आराजी नियमन की गई थी। बुद्धा का देहान्त होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 1077 दिनांक 04–07–1996 वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया गया है। वादीगण के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज कर रखी है जब कि आवंटन नियमों के अनुसार 10 वर्ष उपरान्त स्वतः ही खातेदारी अंकित कर दी जानी चाहिए थी। परीक्षण न्यायलय ने प्रकरण में तनकियात कायम की हैं किन्तु किसी भी तनकी को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर तय नहीं किया गया है। विवादित आराजी पर प्रारम्भ में आवंटी–हमारे पिता का कब्जा काश्त रहा है और उसके उपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त निरंतर चलता आ रहा है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा नियम 14 (4) के तहत आवंटन को निरस्त कराने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसे अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा दिनांक 23–3–2000 को निरस्त किया जा चुका है, अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज करना स्पष्ट रुप से विधिक भूल है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को पुष्ट करने में त्रुटि की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर वादीगण के वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

5– प्रत्यर्थी पक्ष के योग्य राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा तथ्यों व रिकार्ड के आधार पर वादी के वाद को खारिज किया है, जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। समवर्ती निर्णयों में बिना किसी ठोस आधार के किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के माध्यम से उचित नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वादीगण का प्रश्नगत भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, यदि इनका कब्जा रहा होता तो नियमों के परिप्रेक्ष्य में इन्हें 10 वर्ष के उपरान्त ही खातेदारी स्वतः प्राप्त हो गई होती। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2050–53 के अंकनों के अनुसार भी इस तथ्य की पुष्टि होती है क्योंकि इसमें आराजी पडत लिखी हुई है। उन्होंने बहस में कथन किया कि आवंटन वर्ष 1973 का होना बताया है जब कि दावा वर्ष 1997 में करीब 24 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है और देरी के कोई औचित्य पूर्ण कारण भी नहीं बताए गए हैं। सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा भी वादीगण का कब्जा नहीं होने के बाबत् अपने बयानों में अंकित किया है, अतः वादीगण द्वारा आवंटन की शर्तो की भी पालना होना नहीं पाया जाता है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण–अपीलार्थीगण की ओर से वादपत्र खसरा नम्बर 53/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 191/2 रकबा 5 बिस्वा के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आराजी वादीगण के पिता को दिनांक 13–4–1973 को नियमन की गई थी और वादीगण के पिता के मरने के बाद नामांतरकरण संख्या 1077 विरासत दिनांक 04–07–1996 वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जबाबदावे में आवंटन के तथ्य से इन्कार किया है और यह भी अंकित किया है कि विवादित आराजी पर वादीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2050–53 प्रदर्श पी. 2 के अनुसार प्रश्नगत आराजी बुद्धा पुत्र मानपाल की गैर खातेदारी में अंकित होना और नामांतरकरण संख्या 1077 विरासत दिनांक 04–07–1996 वादीगण के पक्ष में गैर खातेदारी का स्वीकार किया जाना स्पष्ट है। प्रदर्श पी–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2050 से 2053 के अनुसार खसरा नम्बर 191/2 रकबा 5 बिस्वा पडत के रुप में अंकित है और सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा भी अपने बयानों में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 191/2 मौके पर

खालीपडा है और आनन्दी वगैरा ग्राम मालौनी में निवास नहीं करते हैं। भोगीपुरा शाहगंज आगरा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रकरण में गौरतलब तथ्य है कि आवंटन वर्ष 1973 में होना बताया गया है और आवंटन नियमों के अनुसार, आवंटन नियमों की पालना करने की स्थिति में, आवंटन से 10 वर्ष उपरान्त स्वतः ही खातेदारी प्राप्त हो जाती है। आवंटी का आराजी पर कब्जा नहीं होने से ही उनके पक्ष में खातेदारी अंकित नहीं की गई है। यह भी गौरतलब है कि वर्ष 1973 से वर्ष 1997 तक गैर खातेदारी से खातेदारी अंकित कराने हेतु करीब 24 वर्ष की लम्बी अवधि तक वादीगण की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादीगण की ओर से अपने पिता के पक्ष में दिनांक 13–4–1973 को नियमन होने का तथ्य वादपत्र में उल्लेखित किया है किन्तु अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया है वह आवंटन दिनांक 24–9–1974 के विरुद्ध रहा है, अतः वादी–अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में जो तथ्य लिये हैं वे भी विरोधाभाषी रहे हैं। सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायलाय ने प्रकरण में विधिवत रुप से तनकियात कायम करते हुये निर्णय दिनांक 31–12–1999 के द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया है और इस निर्णय को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पुष्टि प्रदान की है। इन निर्णयों में हम किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाते हैं। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं। न्याय दृष्टान्त RBJ (23) 2016 page 482 में माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसी प्रकार से RBJ (4) 1997 page 39 , RBJ (16) 2009 page 725 में माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने मत व्यक्त किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में स्पष्ट रुप से त्रुटि दृष्टव्य नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। फलतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय स्थिति के मद्दे नजर, उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील सारहीन पाये जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष